न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—405/2016/223 (2016/00405)

1. लालाराम पुत्र सुवा, जाति गुर्जर,
2. कानाराम पुत्र सुवा, जाति गुर्जर
   समस्त नि0 ग्राम जगपुरा की ढाणी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र प्रभूलाल, जाति गुर्जर, नि0 सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 84/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेद्रसिंह रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा में आराजी खाता संख्या 119/116 के खसरा नंबर 179 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी—3 अवस्थित है जो वादी की सहखातेदारी की आराजी है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की उपरोक्त वर्णित आराजियात पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलांट स को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. अपील के विचाराधीन रहते अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात, फोटोग्राफ्स, पुलिस को की गई शिकायत संबंधी दस्तावेज पेश कर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया ।

5. आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने पुलिस अधीक्षक, अजमेर को की गई शिकायत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलांट ने जो फोटोग्राफ्स पेश किये है वे विवादित भूमि के होना नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार अपीलांटस ने ग्राम पंचायत भटियाणी का प्रमाण पत्र पेश किया है जो फोटो प्रति होने से भारतीय साक्ष्य अधि0 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विधिक विरूद्ध रूप से निषेधाज्ञा के वाद में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन के बिन्दु निर्धारित किये बिना एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण का सही विश्लेषण किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि वादी विवादित आराजियात के आधे हिस्से पर ही काबिज है एवं सहखातेदार की हैसियत रखता है जिसके संबंध में आधे हिस्से पर अपीलांटस का कब्जा है, जिसकी बिना पड़ताल किये अपीलांटस के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात को भी नजरअदांज किया कि ग्राम पंचायत भटियाणी पंचायत समिति श्रीनगर ने दिनांक 19.8.2015 को अपीलांटस का कब्जा मानते हुए अपीलांटस की विवादित भूमि पर रोड़ी पड़ा होना माना था एव कब्जा 100 वर्षो से लाला पुत्र सुवा व उनके परिवारजन का माना गया था, जिसे नजरअंदाज कर त्रुटिपूर्ण रूप से विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं है इस कारण नो पजेशन नो इंजेक्शन के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने कैम्प कोर्ट में एकतरफा में अपीलांटस को बिना सुने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दावा कैम्प कोर्ट में निस्तारित किया गया था जिस बाबत् अपीलांटस को जानकारी नहीं थी तथा अभिभाषक द्वारा भी निर्णय की जानकारी अपीलांटस को नहीं दी गई थी जिससे निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी । अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी होते ही अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

8. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि खाता संख्या 119/116 के खसरा नंबर 179 रकबा 0.27 है0 के आधे हिस्से का काबिज खातेदार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 है । अपीलांटस जबरन वादी/रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि पर रोड़ी की आड़ में कब्जा करने पर आमादा है । काबिज खातेदार उसकी आराजी में अन्य व्यक्तियों द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

का भली भांति अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 रामेश्वर वल्द प्रभूलाल, कौम गुजर खसरा नंबर 179 रकबा 0.2700 है0 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार भंवरलाल पुत्र महावीर प्रसाद वैष्णव है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । काबिज खातेदार की आराजी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखंलदाजी किये जाने पर खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकार रखता है । रेस्पो0 संख्या 1/वादी विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का रिकार्डेड काबिज खातेदार होने से अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

31/1/19

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 31.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

31/1/19

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर